संख्याः 566 /VII-I/2019–233(उद्योग)/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख संचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
सार्वजनिक उपक्रम/निगम,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग– 2 देहरादून : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2019

विषयः– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत मंहगाई भत्ते के शासनादेश के अनुरूप राज्य में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों एवं उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों हेतु 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या 353/XXVII(7)02/2016, दिनॉक 21 अक्टूबर, 2019 एवं शासनादेश संख्या 354/XXVII(7)02/2016, दिनॉक 21 अक्टूबर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में स्थित शासकीय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, हेतु दिनांक–01 जुलाई, 2019 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 17% की दर से महंगाई भत्ते की स्वीकृति अनुमन्य करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपक्रम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वंय निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– अतः वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेशों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था/निगम/सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों (केवल उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम हेतु) मंहगाई भत्ते की स्वीकृति निर्गत/अनुमन्य कराये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 566 /VII-1/2019–233(उद्योग)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 19.09.2018 के क्रम में।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।